IJARASEM

ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 12, Issue 3, May - June 2025

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 8.028

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 8.028 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 12, Issue 3, May-June 2025 |

सीकर जिले में स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की सहभागिता

सुनीता महला
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरु (राजस्थान)

सारांश

भारत में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए स्थानीय स्वशासन की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। यह अनुसंधान पत्र विशेष रूप से राजस्थान के सीकर जिले में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निकाय आदि में महिलाओं की सहभागिता की वर्तमान स्थिति, उसकी प्रकृति, प्रभाव एवं चुनौतियों का सम्यक विश्लेषण करता है। इस शोध में यह अवलोकन किया गया है कि आरक्षण नीति के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाएँ निर्वाचित होकर स्वशासन संस्थाओं का हिस्सा बनी हैं। उन्होंने जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, महिला सुरक्षा, एवं बाल कल्याण जैसे सामाजिक सरोकारों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। यद्यपि उनकी भागीदारी में वृद्धि हुई है, तथापि कई सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएँ, जैसे परंपरागत पितृसत्तात्मक सोच, अशिक्षा, अनुभवहीनता, और पुरुषों द्वारा ''प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व'' जैसी समस्याएँ उनके प्रभावी नेतृत्व में बाधा बनती हैं। यह शोध क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध आँकड़ों, प्रत्यक्ष साक्षात्कारों एवं केस स्टडी के आधार पर सीकर जिले में महिलाओं की सहभागिता की वास्तविकता को उजागर करता है। शोध का उद्देश्य केवल संख्यात्मक उपस्थिति का आकलन करना नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि महिलाएँ कितनी स्वतंत्रता और प्रभावशीलता से स्थानीय शासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले रही हैं। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि यदि प्रशिक्षण, जागरूकता, सामाजिक समर्थन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जाए तो महिलाएँ न केवल सक्षम नेता सिद्ध हो सकती हैं, बल्कि स्थानीय स्वशासन को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और जनोन्मुख बना सकती हैं। अतः यह शोध सीकर जिले में महिला सशक्तिकरण के साथ–साथ लोकतंत्र की जमीनी मजबूती का भी महत्वपूर्ण संकेत देता है।

मूल शब्द – 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम, महिलाओं सहभागिता, स्थानीय शासन, पंचायती राज संस्था

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 8.028 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 12, Issue 3, May-June 2025 |

प्रस्तावना :

भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ शासन की शक्ति का अंतिम स्रोत जनता मानी जाती है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए शासन व्यवस्था को जमीनी स्तर तक पहुँचाना आवश्यक होता है, और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानीय स्वशासन की संकल्पना को व्यवहार में लाया गया। स्थानीय स्वशासन वह प्रणाली है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अपने ही प्रतिनिधियों के माध्यम से विकास कार्यों का संचालन करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता को विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के बिना न तो समाज का समग्र विकास संभव है और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों की पूर्ण स्थापना।

भारत में 1992 में लागू किए गए 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इन संशोधनों के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय निकायों में न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जो बाद में कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। यह एक ऐतिहासिक कदम था जिसने राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के द्वार खोल दिए। इसके माध्यम से महिलाएँ अब ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम जैसी संस्थाओं में सरपंच, पार्षद, अध्यक्ष आदि पदों पर निर्वाचित होकर नीतिगत निर्णयों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं।

महिलाओं की सहभागिता से शासन व्यवस्था में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। वे जल, स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा और बच्चों के कल्याण जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देती हैं। महिला प्रतिनिधियों ने ग्रामीण जीवन को नई दिशा दी है और स्थानीय समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किया है। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जहाँ महिला सरपंचों ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, बाल विवाह जैसे सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध कार्य किया और महिला साक्षरता को बढ़ावा दिया।

हालाँकि, यह भी सत्य है कि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की सहभागिता कई चुनौतियों से घिरी हुई है। कई बार महिलाओं को केवल श्प्रॉक्सी प्रतिनिधिश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ उनके पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अशिक्षा, संसाधनों की कमी, सामाजिक व सांस्कृतिक दबाव, राजनीतिक अनुभव का अभाव और पितृसत्तात्मक सोच जैसे अनेक कारणों से महिलाएँ अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पातीं।

इन चुनौतियों के बावजूद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में निरंतर वृद्धि हो रही है। जागरूकता अभियानों, स्वयं सहायता समूहों, गैर–सरकारी संगठनों और महिला प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भूमिका उल्लेखनीय रही है। आज अनेक महिलाएँ अपने नेतृत्व से यह सिद्ध कर रही हैं कि वे न केवल सामाजिक एवं पारिवारिक जिम्मेदारियाँ निभाने में सक्षम हैं, बल्कि वे प्रशासनिक दक्षता और जनहित के कार्यों में भी कुशल हैं।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 8.028 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 12, Issue 3, May-June 2025 |

इस प्रकार, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की सहभागिता केवल एक संवैधानिक प्रावधान न होकर सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला बन चुकी है। यह न केवल महिलाओं को सशक्त बनाता है, बल्कि संपूर्ण समाज को अधिक न्यायसंगत, उत्तरदायी और समावेशी बनाता है। अतः यह विषय वर्तमान सामाजिक–राजनीतिक संदर्भ में अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं विचारणीय है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की सच्ची अनुभूति को दर्शाता है।

अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध–पत्र के उद्देश्य निम्नलिखित है–

- सीकर जिले में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं की वर्तमान भागीदारी का मूल्यांकन करना।
- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका, कार्यशैली एवं निर्णय–निर्माण में उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषण करना।
- महिला प्रतिनिधियों के समक्ष आने वाली प्रमुख सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं पारिवारिक चुनौतियों की पहचान करना।
- सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण में आई प्रगति का मूल्यांकन करना।
- सीकर जिले में महिला प्रतिनिधित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

साहित्य समीक्षा :

1. **निर्मला बच (1996)** *"Women in Panchayati Raj Institutions"* इस अध्ययन में भारत के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। शोधकर्ता ने यह पाया कि आरक्षण व्यवस्था के कारण महिलाएँ सत्ता में तो आईं, लेकिन अनेक बार वे 'प्रॉक्सी प्रतिनिधि' के रूप में काम कर रही थीं। फिर भी, अनेक उदाहरण ऐसे थे जहाँ महिलाओं ने सक्रिय नेतृत्व दिखाया और ग्राम स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। यह शोध सीकर जैसे क्षेत्रीय जिलों की स्थिति को समझने में सापेक्षिक आधार प्रदान करता है।
2. **नीलम सिंह (2003)** *"Participation of Women in Panchayati Raj: A Case Study of Rajasthan"* – यह अध्ययन विशेष रूप से राजस्थान राज्य पर केन्द्रित है, जिसमें महिलाओं की सहभागिता की प्रकृति, सामाजिक सीमाएँ, राजनीतिक भूमिका और प्रशिक्षण की उपलब्धता जैसे पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। शोध में यह निष्कर्ष निकला कि महिलाओं में जागरूकता की वृद्धि तो हुई है, लेकिन निर्णय लेने की स्वतंत्रता अभी भी सीमित है।
3. **बी. आर. रेड्डी (2005)** *"Womens Empowerment through Local Governance"* – यह अध्ययन महिलाओं के सशक्तिकरण को स्थानीय स्वशासन से जोड़ते हुए यह दर्शाता है कि जब महिलाएँ पंचायतों में नेतृत्व संभालती हैं, तो न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि सामाजिक मुद्दों को सुलझाने में अधिक संवेदनशीलता दिखाई देती है। यह शोध स्थानीय नेतृत्व के सामाजिक प्रभाव की गहराई से पड़ताल करता है।

4. **डॉ. अनीता चौधरी (2015)** *''राजस्थान में पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण''* – यह हिंदी भाषा में उपलब्ध शोध कार्य राजस्थान के विभिन्न जिलों विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र में महिला प्रतिनिधियों की स्थिति का गहराई से अध्ययन करता है। शोध में सीकर, झुंझुनूं और चुरू जिलों की महिला सरपंचों के अनुभव, संघर्ष, उपलब्धियों और प्रशासनिक क्षमता का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह आपके शोध क्षेत्र से प्रत्यक्षतः संबंधित एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

विधि तंत्र एवं आंकड़ों के स्रोत :

प्रस्तु शोध पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार के आंकड़ों की सहायता से तैयार किया गया है, द्वितीयक आंकड़ो का संकलन राजस्थान सरकार के ऑनलाइन पोर्टल एवं सीकर जिले के जिला परिषद एवं अन्य कार्यालयों से किया गया है तथा प्राथमिक आंकड़ों का संकलन प्रश्नावली के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से से किया गया है। इस दौरान कुल 300 उत्तरदाताओं से चर्चा की गयी है।

सीकर जिले में पंचायत चुनाव 2021 में निर्वाचित महिलाओं के आंकडें–

सीकर जिले में पंचायत चुनाव 2021 में निर्वाचित महिलाओं के आंकड़े इस प्रकार है–

सारणी संख्या 01 के अनुसार ग्राम पंचायत चुनाव 2020–21 (सरपंच) के कुल 374 ग्राम पंचायतों में महिला वर्ग से सामान्य से 29, अनुसूचित जाति से 136, अनुसूचित जनजाति से 36, अन्य पिछड़ा वर्ग से 10 संरपच निर्वाचित हुई।

सारणी संख्या – 01
सीकर जिले में ग्राम पंचायत चुनाव 2020–2021 में श्रेणीवार निर्वाचित महिला सरपंचों की स्थिति

पंचायत समिति	ग्राम पंचायतें	महिला			
		जनरल	एससी	एसटी	ओबीसी
अजीतगढ़	23	5	6	2	1
दातारामगढ़	30	2	9	4	0
धोद	57	6	19	6	0
फतेहपुर	34	1	15	4	0
खंडेला	45	0	18	4	2
लक्ष्मणगढ़	35	0	16	4	1
नेछवा	18	3	5	2	0
नीम का थाना	33	3	10	3	2
पलसाना	29	1	12	2	1
पाटन	22	3	7	1	2
पिपराली	26	2	9	3	0
श्रीमाधोपुर	22	3	10	1	1
कुल	**374**	**29**	**136**	**36**	**10**

स्त्रोत : ग्राम पंचायत चुनाव 2021, प्रथम भाग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 8.028 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 12, Issue 3, May-June 2025 |

सारणी संख्या 02 के अनुसार सीकर जिला में पंचायत समिति चुनाव 2020–21 के कुल 310 पंचायतों में महिला वर्ग से सामान्य से 38, अनुसूचित जाति से 114, अनुसूचित जनजाति से 25, अन्य पीछड़ा वर्ग से 2 निर्वाचित हुई।

सारणी संख्या – 02
सीकर जिले में पंचायत समिति चुनाव 2020–2021 में श्रेणीवार निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों में महिलाओं की स्थिति

पंचायत समिति	कुल वार्ड	महिला			
		जनरल	एससी	एसटी	ओबीसी
अजीतगढ़	23	3	7	1	0
दातारामगढ़	27	4	10	3	0
धोद	41	3	19	4	0
फतेहपुर	27	3	15	2	0
खंडेला	39	2	15	4	2
लक्ष्मणगढ़	25	2	9	2	0
नेछवा	15	2	5	2	0
नीम का थाना	27	10	5	2	0
पलसाना	25	3	4	1	0
पाटन	17	3	4	1	0
पिपराली	21	1	12	2	0
श्रीमाधोपुर	23	2	9	1	0
कुल	**310**	**38**	**114**	**25**	**2**

स्रोत : ग्राम पंचायत चुनाव 2020–2021, द्वितीय भाग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर

सारणी संख्या 03 के अनुसार सीकर जिले में जिला परिषद चुनाव 2020 में श्रेणीवार पुरूष एवं महिला कुल 39 वार्डों में महिलाओं में सामान्य 3, अनुसूचित जाति 15, अनुसूचित जनजाति 5 तथा अन्य पीछड़ा वर्ग 0 सहित कुल 23 वार्ड में महिलाएँ निर्वाचित हुई।

सारणी संख्या – 03
सीकर जिले में जिला परिषद चुनाव 2020–21 में श्रेणीवार निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों में पुरुष एवं महिलाओं की स्थिति

वार्ड	महिला				
	जनरल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल
39	**3**	**15**	**5**	**0**	**23**

स्रोत : जिला परिषद चुनाव 2020–21 (जिला परिषद), राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर

क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त निष्कर्ष –

जिले के विभिन्न सरकारी निकायों यथा जिला परिषद, पंचायत समिति इत्यादि से प्राप्त प्राथमिक आंकड़ों के विवरणों के आधार पर जिले में महिलाओं में स्थानीय स्वशासन में भागीदारी सुनिश्चित करनें के प्रति जागरूकता को निम्न बिन्दुओं के आधार पर वर्णित किया जा सकता है–

राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता के प्रेरक कारण :

प्रस्तुत सारणी 04 से स्पष्ट होता है कि स्व प्रेरित होकर 39.33 प्रतिशत महिलायें राजनीति में आयी जबकि 44.67 प्रतिशत महिलाएं पति या पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण राजनीति में आयी। इसी प्रकार जाति या समुदाय के नेताओं से प्रेरित होकर 14 प्रतिशत महिलाएं राजनीति में आयी व अन्य कारणों से भी 2 प्रतिशत महिलाएं राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बनी।

सारणी संख्या – 04
राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता के प्रेरक कारण

क्र.सं.	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	स्व प्रेरित	118	39.33
2.	पति/पारिवारिक पृष्ठभूमि	134	44.67
3.	जाति/समुदाय के नेता	42	14.00
4.	अन्य	6	2.00
	योग	**300**	**100**

स्रोत – क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा संकलित प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर

आरेख संख्या 01 : राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता के प्रेरक कारण

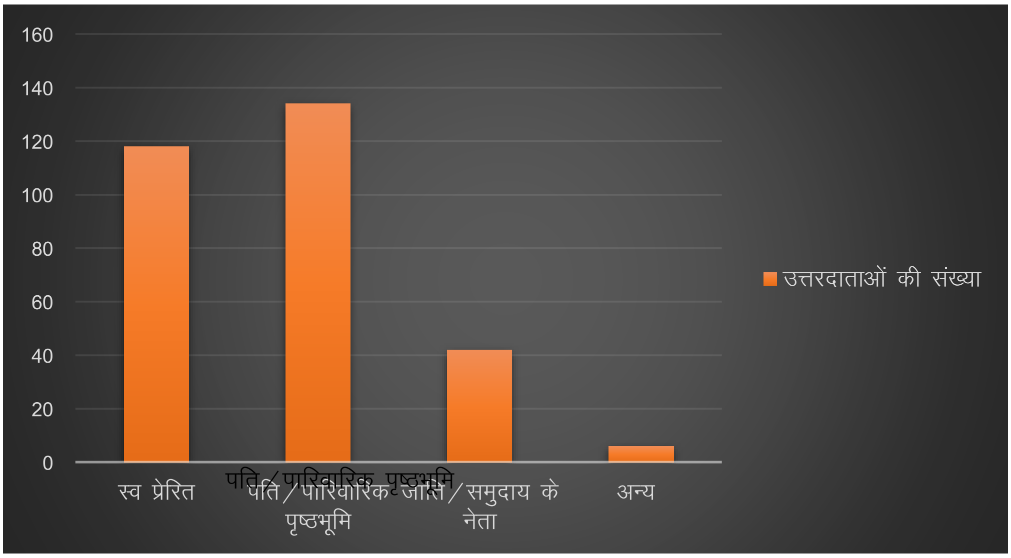

ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम सभा सदस्यों की सहभागिता :

प्रस्तुत सारणी संख्या 05 में ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम सभा के सदस्यों की सहभागिता कितनी होती है इस पर पूछे गये प्रश्न के उत्तर में 5 से 15 प्रतिशत तक में 6.67 प्रतिशत लोगों ने अपना उत्तर दिया जबकि 16 से 30 प्रतिशत तक के प्रश्न पर 17.33 प्रतिशत ने अपना उत्तर दिया। इसी प्रकार 31 से 50 प्रतिशत के प्रश्न पर 22 प्रतिशत महिलाओं ने अपना विचार व्यक्त किया जबकि 50 प्रतिशत से अधिक पर 54 प्रतिशत महिलाओं ने उत्तर दिया।

सारणी संख्या – 05
ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम सभा सदस्यों की सहभागिता

क्र.सं.	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	5 से 15 प्रतिशत	20	6.67
2.	16 से 30 प्रतिशत	52	17.33
3.	31 से 50 प्रतिशत	66	22.00
4.	50 प्रतिशत से अधिक	162	54.00
	योग	**300**	**100**

स्रोत – क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा संकलित प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर

आरेख संख्या 02 : ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम सभा सदस्यों की सहभागिता

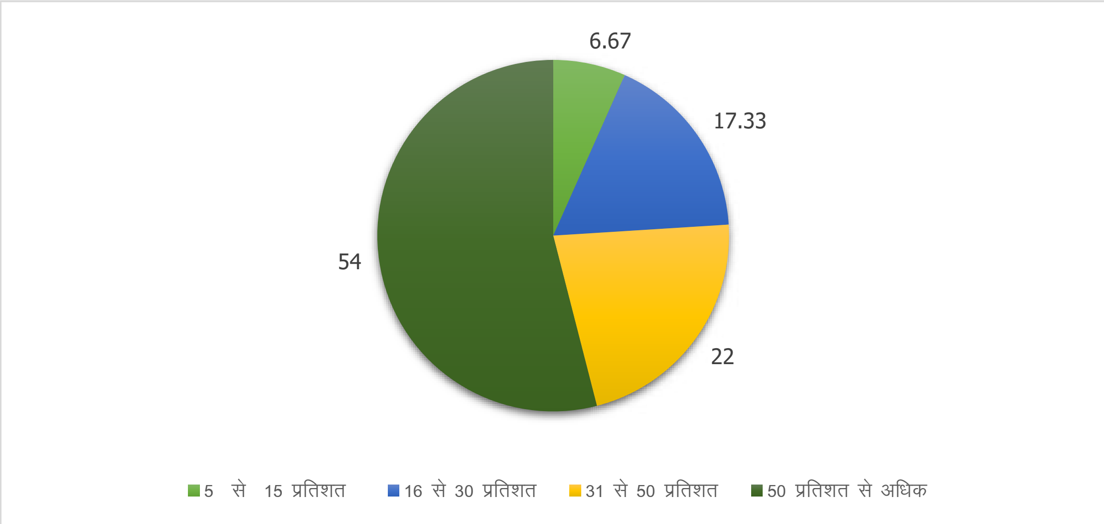

पंचायत बैठक में भाग लेने हेतु सलाह :

प्रस्तुत सारणी संख्या 06 में पंचायत बैठक में भाग लेने हेतु आप किससे सलाह लेती हैं पर पूछे गये प्रश्न पर किसी से नहीं पर 30.67 प्रतिशत जबकि पति एवं परिवार या संबंधियों से पूछे गये प्रश्न पर 42 प्रतिशत महिलाओं ने अपना विचार व्यक्त किया जबकि जाति के नेताओं पर 18 प्रतिशत तथा राजनीतिक दलों पर 9.33 महिलाओं ने अपना विचार व्यक्त किया।

सारणी संख्या – 06
पंचायत बैठक में भाग लेने हेतु सलाह लेना

क्र.सं.	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	किसी से नहीं	92	30.67
2.	पति/परिवार/संबंधियों से	126	42.00
3.	जाति के नेताओं से	54	18.00
4.	राजनीतिक दलों से	28	9.33
	योग	**300**	**100**

स्रोत – क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा संकलित प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 8.028 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 12, Issue 3, May-June 2025 |

आरेख संख्या 03 : पंचायत बैठक में भाग लेने हेतु सलाह लेना

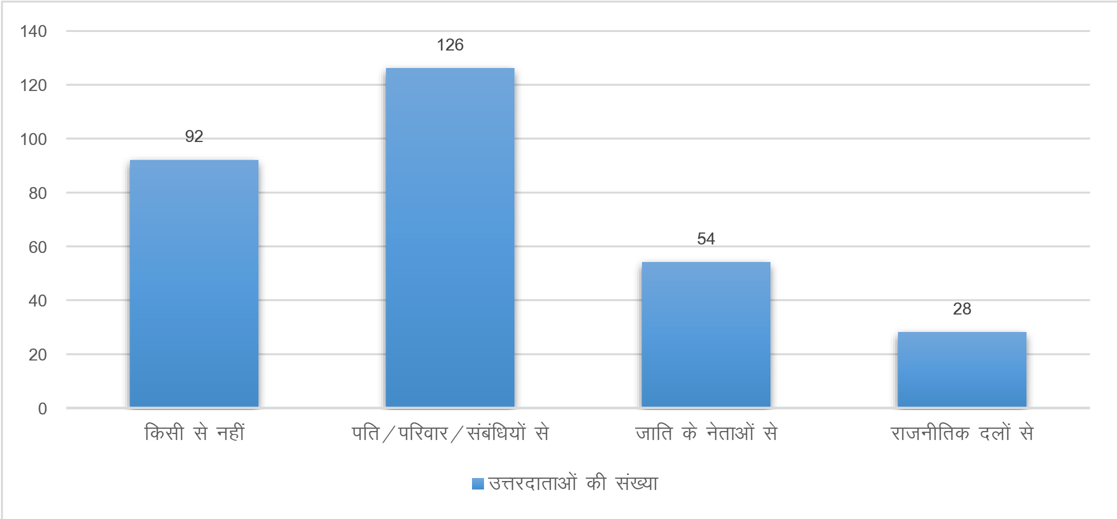

ग्राम पंचायत की नियमित बैठक :

प्रस्तुत सारणी संख्या 07 में ग्राम पंचायत की नियमित बैठक होने पर पूछे गये प्रश्न पर 91.33 प्रतिशत ने हाँ में उत्तर दिया जबकि 8.67 प्रतिशत ने नहीं में अपना उत्तर दिया।

सारणी संख्या – 07
ग्राम पंचायत की नियमित बैठक

क्र.सं.	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	274	91.33
2.	नहीं	26	8.67
	योग	**300**	**100**

स्रोत – क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा संकलित प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर

आरेख संख्या 04 : ग्राम पंचायत की नियमित बैठक

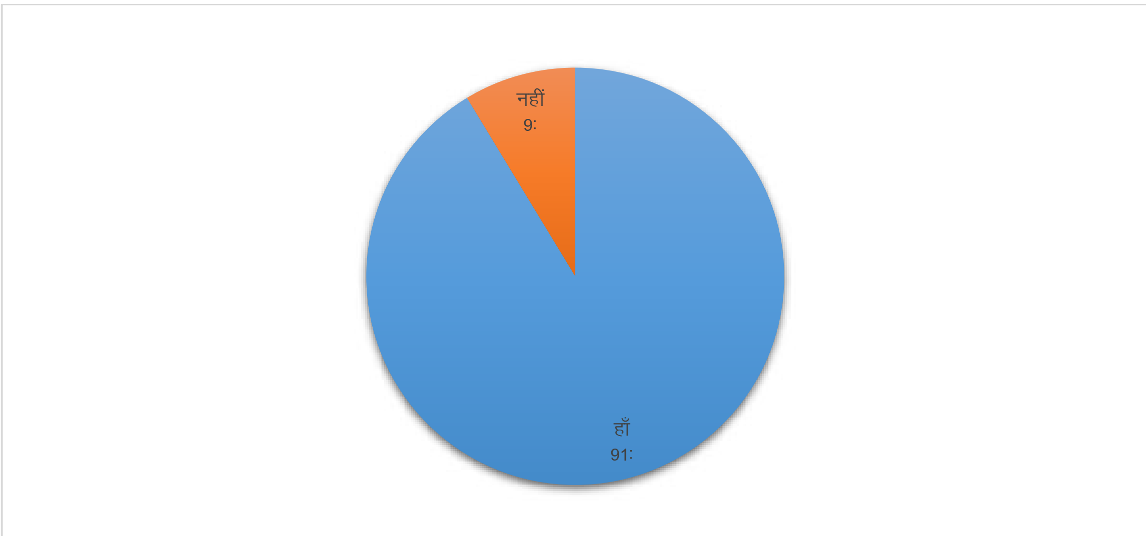

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 8.028 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 12, Issue 3, May-June 2025 |

ग्राम सभा की संरचना एवं दायित्वों के बारे में जानकारी :

प्रस्तुत सारणी संख्या 08 से स्पष्ट होता है कि 92.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ग्राम सभा की संरचना एवं दायित्वों की जानकारी का हाँ में उत्तर दिया जबकि 7.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं में अपना विचार व्यक्त किया।

सारणी संख्या – 08
ग्राम सभा की संरचना एवं दायित्वों के बारे में जानकारी

क्र.सं.	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	278	92.67
2.	नहीं	22	7.33
	योग	**300**	**100**

स्रोत – क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा संकलित प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर

निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी :

प्रस्तुत सारणी संख्या 09 में क्या निर्णय प्रक्रिया में आपकी भागीदारी होती है पर पूछे गये प्रश्न के उत्तर में अक्सर पर 68.67 प्रतिशत जबकि कभी–कभी पर 22.66 प्रतिशत महिलाओं ने उत्तर दिया। इसी प्रकार बिल्कुल नहीं पर 8.67 प्रतिशत महिलाओं ने उत्तर दिया।

सारणी संख्या – 09
निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी

क्र.सं.	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	अक्सर	206	68.67
2.	कभी–कभी	68	22.67
3.	बिल्कुल नहीं	26	8.67
	योग	**300**	**100**

स्रोत – क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा संकलित प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 8.028 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 12, Issue 3, May-June 2025 |

आरेख संख्या 05 : निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी

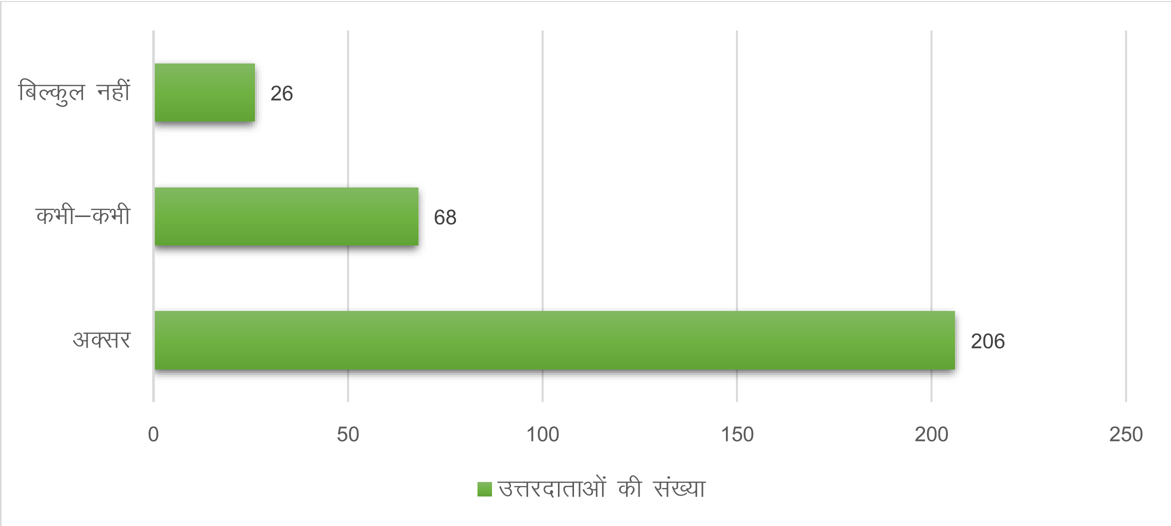

पंचायत की बैठकों में महिला सदस्यों द्वारा रखे जाने विषय

प्रस्तुत सारणी संख्या 10 में पंचायत की बैठकों में महिला सदस्य द्वारा रखे जाने वाले विषयों पर पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कृषि विकास पर 19.33 प्रतिशत महिलाओं ने उत्तर दिया, ग्रामीण स्वच्छता पर 24.67 प्रतिशत महिलाओं ने उत्तर दिया, स्वास्थ्य एवं पोषाहार पर 21.33 प्रतिशत महिलाओं ने उत्तर दिया, लडकियों की शिक्षा पर 19.33 प्रतिशत महिलाओं ने उत्तर दिया, नशाबन्दी पर 15.33 प्रतिशत महिलाओं ने उत्तर दिया। अन्य पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

सारणी संख्या – 10
पंचायत की बैठकों में महिला सदस्य द्वारा रखे जाने वाले विषय

क्र.सं.	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि विकास	58	19.33
2.	ग्रामीण स्वच्छता	74	24.67
3.	स्वास्थ्य एवं पोषाहार	64	21.33
4.	लडकियों की शिक्षा	58	19.33
5.	नशाबन्दी	46	15.33
6.	अन्य	0	0
	योग	**300**	**100**

स्रोत – क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा संकलित प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 8.028 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 12, Issue 3, May-June 2025 |

आरेख संख्या 06 : पंचायत की बैठकों में महिला सदस्य द्वारा रखे जाने वाले विषय

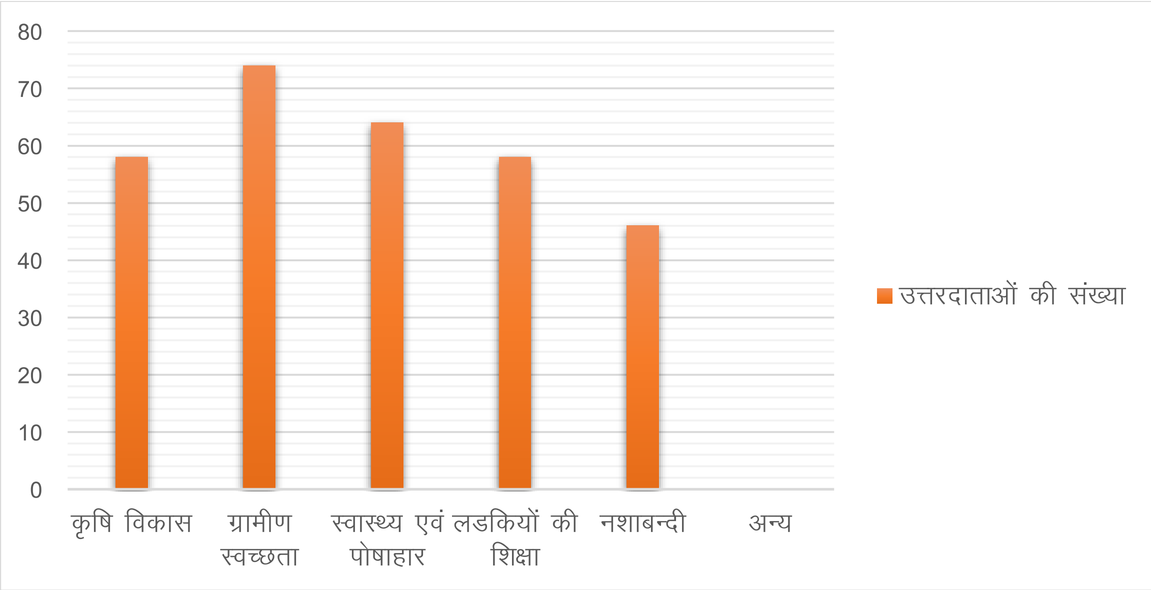

महिला सदस्यों के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण

प्रस्तुत सारणी संख्या 11 में महिला सदस्यों के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण कैसा रहता है पर पूछे गये प्रश्न के उत्तर में अक्सर पर 64.67 प्रतिशत उत्तर प्राप्त हुए जबकि कभी–कभी पर 22.67 प्रतिशत महिलाओं ने उत्तर दिया। इसी प्रकार बिल्कुल नहीं पर 12.67 प्रतिशत महिलाओं ने उत्तर दिया।

सारणी संख्या – 11
महिला सदस्यों के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण

क्र.सं.	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	सकारात्मक	194	64.67
2.	तटस्थ	68	22.67
3.	नकारात्मक	38	12.67
	योग	**300**	**100**

स्रोत – क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा संकलित प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 8.028 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 12, Issue 3, May-June 2025 |

आरेख संख्या 07 : महिला सदस्यों के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण

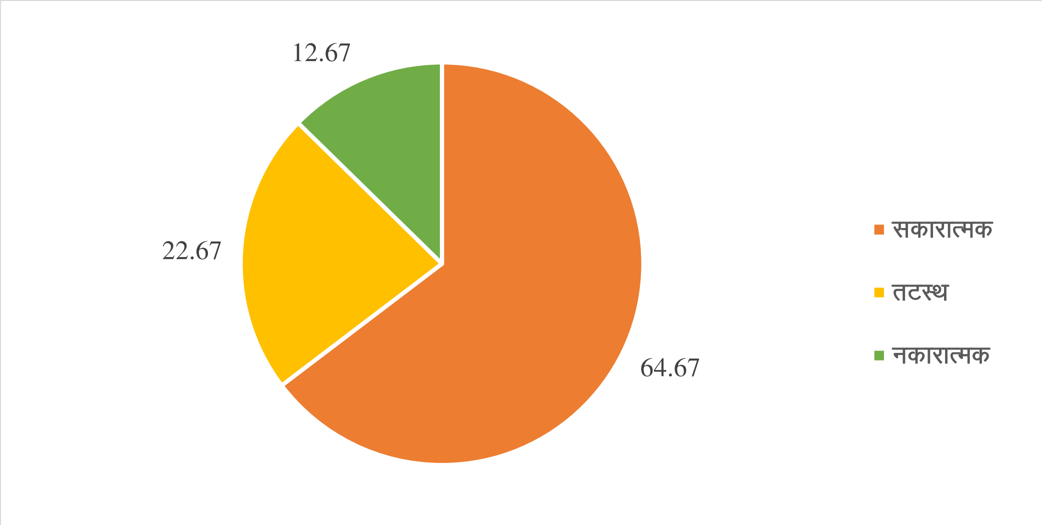

पंचायत की निर्णय प्रक्रिया में महिला सदस्यों की सहभागिता

प्रस्तुत सारणी संख्या 12 में पंचायत की निर्णय प्रक्रिया में महिला सदस्यों की सहभागिता बढ़ी/घटी या वही है पर पूछे गये प्रश्न के उत्तर में बढ़ी है पर 72.67 प्रतिशत उत्तर प्राप्त हुए जबकि घटी है पर 12.67 प्रतिशत महिलाओं ने उत्तर दिया इसी प्रकार लगभग वही है पर 14.67 प्रतिशत महिलाओं ने उत्तर दिया।

सारणी संख्या – 12
पंचायत की निर्णय प्रक्रिया में महिला सदस्यों की सहभागिता

क्र.सं.	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	बढ़ी है	218	72.67
2.	घटी है	38	12.67
3.	लगभग वही है	44	14.67
	योग	**300**	**100**

स्रोत – क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा संकलित प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 8.028 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 12, Issue 3, May-June 2025 |

आरेख संख्या 08 : पंचायत की निर्णय प्रक्रिया में महिला सदस्यों की सहभागिता

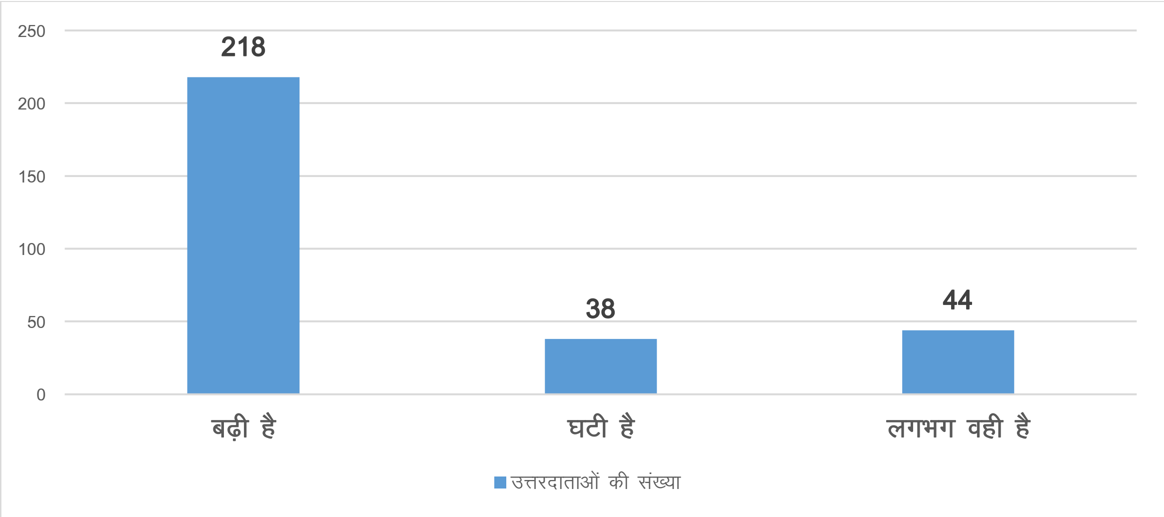

इस प्रकार पंचायतीराज व्यवस्थाओं में महिलाओं को नेतृत्व का जितना अधिक अवसर मिलेगा, धीरे–धीरे उनके लिए यह सहज होता जाएगा। इसका जीवंत उदाहरण पंचायतों में उनकी उपस्थिति है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि महिलाएं संवेदनशील होने के साथ–साथ कुशल प्रबंधक भी होती हैं। वे समस्याओं के साथ स्वयं को जोड़ कर उनका तार्किक और सार्थक हल ढूंढ़ने का प्रयास करती हैं। पर दुखद पहलू यह है कि उनका आकलन पुरुषों की अपेक्षा अलग तरीकों से किया जाता है। इस संबंध में हमें अपने दृष्टिकोण को व्यापक करना होगा, क्योंकि दुनिया भर में यह साबित हुआ है कि नेतृत्वकारी पदों पर आसीन महिलाएं शांति और सुरक्षा के पहलुओं पर गंभीरता से ध्यान देती हैं। महिलाएं महिलाओं के मुद्दे समझे जाने वाले मुद्दों को सामाजिक मुद्दों के तौर पर देखती हैं, कि ये मुद्दे किस तरह से परिवारों व समुदायों को प्रभावित करते हैं। महिलाओं को अभी लंबा राजनीतिक सफर तय करना है।

निष्कर्ष :

उक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं की स्थानीय शासन में भागीदारी ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुँचने का अवसर दिया है। इससे न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, बल्कि समाज और शासन के ढांचे में भी सुधार हुआ है। यद्यपी संवैधानिक संशोधनों के बाद महिलाओं के लिए स्थानीय शासन में भागीदारी के बड़े अवसर खुले हैं, लेकिन ये अवसर उन अवरोधों के कारण सीमित हो जाते हैं, जो पितृसत्तात्मक समाज, आर्थिक निर्भरता, शिक्षा की कमी, और राजनीतिक हस्तक्षेप से पैदा होते हैं। इन अवरोधों को दूर करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके लिए शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने, और समाज में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 8.028 | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 12, Issue 3, May-June 2025 |

संदर्भ सूची :

1. Bhatnagar, S. (2008). *Role of women in rural development and Panchayati Raj*. New Delhi: New Century Publications.
2. Buch, N. (1996). *Women's experience in new panchayats: The emerging leadership of rural women*. Centre for Women's Development Studies.
3. Chaudhary, A. (2015). *Rajasthan mein Panchayati Raj evam Mahila Sashaktikaran* (in Hindi). Jaipur: Rajasthan Hindi Granth Academy.
4. Goetz, A. M. (1998). *Women in politics & gender equity in policy: South Asian experience*. IDS Bulletin, 29(1), 39–51.
5. Government of India. (2002). *Report of the Task Force on Panchayati Raj Institutions*. Ministry of Rural Development.
6. Institute of Social Sciences. (2003). *Status of Panchayati Raj in the States and Union Territories of India*. New Delhi: ISS.
7. Jain, S. P. (2006). *Women in grassroots democracy: A study of self-help groups and Panchayats*. Jaipur: ABD Publishers.
8. Jha, S. N., & Mathur, P. C. (Eds.). (1999). *Decentralization and local politics*. New Delhi: Sage Publications.
9. Kaushik, S. (1993). *Women's participation in politics*. New Delhi: Vikas Publishing House.
10. Mishra, R. (2010). *Women and political empowerment in rural India*. New Delhi: Centrum Press.
11. Rajasthan State Election Commission. (2020). *Statistical report on local elections in Rajasthan*. Jaipur: Government of Rajasthan.
12. Reddy, B. R. (2005). *Women's empowerment through local governance*. New Delhi: Kanishka Publishers.
13. Sharma, K. C. (2004). *Decentralized governance and planning in India*. New Delhi: Kanishka Publishers.
14. Singh, N. (2003). *Participation of women in Panchayati Raj: A case study of Rajasthan*. New Delhi: Rawat Publications.
15. UNDP. (2000). *Human Development Report: Gender and Governance*. New York: United Nations Development Programme.

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com